भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1277
दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का कार्यान्वयन

1277 **# श्री नीरज डांगीः**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) योजना के शुभारंभ के बाद से राजस्थान में पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत चिन्हित एवं समर्थित बच्चों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) ऐसे बच्चों को प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है, जिसमें वित्तीय सहायता, शैक्षणिक सहायता, स्वास्थ्य बीमा तथा आवासीय देखभाल शामिल है; और
(ग) क्या राज्य में पात्र बच्चों की पहचान, दस्तावेजीकरण अथवा लाभों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी अथवा विलंब की सूचना प्राप्त हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना उन बच्चों की सहायता करने के लिए बनाई है जिन्होंने 11.03.2020 से 05.05.2023 तक के अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता दोनों या जीवित माता अथवा पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य निरंतर रूप से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राजस्थान राज्य में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्राप्त बच्चों की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक चिन्हित बच्चे के डाकघर खाते में आनुपातिक राशि इस प्रकार जमा की जाती है कि उनके 18 वर्ष की आयु होने पर वह राशि 10 लाख रुपये हो जाती है। बच्चे डाकघर की मासिक आय योजना में 10 लाख रुपये की निधि का निवेश करके 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। वे 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। उपर्युक्त के अनुसार, आज तक प्रत्येक लाभार्थी बच्चे के व्यक्तिगत डाकघर खाते में ₹ 358.11 करोड़ वितरित किए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें इस मंत्रालय की मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 4000/- रुपये प्रति माह मिलते हैं। बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को रहने और खाने की निशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि स्कूल जाने की आयु वर्ग के सभी लाभार्थी, स्कूलों में नामांकित हों। इन बच्चों के प्रवेश की सुविधा के लिए, देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में प्रति कक्षा अधिकतम 2 बच्चों के अध्यधीन प्रति केंद्रीय विद्यालय 10 बच्चों की दर से अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की गईं और लाभार्थियों को कक्षा 1 से 12 तक शुल्क के भुगतान से छूट दी गई। साथ ही, निकटतम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए प्रावधान किए गए हैं तथा लाभार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का लाभ दिया गया है।

इसके अलावा, कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल जाने वाले बच्चों को 20,000/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में भी बच्चों की सहायता की जाती है। सभी बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ दिया गया है। स्वास्थ्य बीमा का कवरेज 23 वर्ष की आयु होने तक प्रदान किया जाता है।

पात्र बच्चे एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों और पाठ्यक्रमों में आगे की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'छात्रों के लिए स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना' का लाभ भी उठाते हैं। इस योजना के तहत, प्रत्येक छात्र को अध्ययन के प्रत्येक वर्ष (अर्थात प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले डिग्री छात्रों को अधिकतम 4 वर्ष और डिप्लोमा छात्रों को अधिकतम 3 वर्ष) के लिए कॉलेज शुल्क के भुगतान, कंप्यूटर, स्टेशनरी, किताबें, उपकरण, सॉफ्टवेयर आदि की खरीद के लिए एकमुश्त राशि के रूप में 50,000/- रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं।

*****

अनुलग्नक

'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का कार्यान्वयन' विषय पर श्री नीरज डांगी द्वारा पूछे गए दिनांक 29.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1277 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राजस्थान राज्य में लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	**ज़िला**	**लाभार्थियों की संख्या**
1.	अजमेर	9
2.	अलवर	3
3.	बांसवाड़ा	7
4.	बारां	4
5.	बाड़मेर	6
6.	भरतपुर	4
7.	भीलवाड़ा	10
8.	बीकानेर	5
9.	बूंदी	4
10.	चित्तौड़गढ़	2
11.	चुरू	6
12.	दौसा	6
13.	धौलपुर	2
14.	डूंगरपुर	7
15.	गंगानगर	1
16.	हनुमानगढ़	5
17.	जयपुर	16
18.	झालावाड़	5
19.	झुंझुनू	9
20.	जोधपुर	9

21.	करौली	5
22.	कोटा	17
23.	नागौर	30
24.	पाली	10
25.	प्रतापगढ़	3
26.	राजसमंद	6
27.	सवाई माधोपुर	2
28.	सीकर	11
29.	सिरोही	2
30.	टोंक	2
31.	उदयपुर	2
	कुल	**210**

*****